XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एव तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

02.09.2011

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0– 72/2009
(धारा 21 B.P.P.H.T Act अन्तर्गत)

1. जगरनाथ राय, पिता–स्व0 पोषण राय
2. बैजनाथ राय, पिता–स्व0 पोषण राय
3. सोनेलाल राय, पिता–स्व0 पोषण राय

सभी साकिन–धूसर महराजी टोला, थाना–टीकापट्टी, अंचल–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ ....
आवेदकगण

बनाम

1. वादो मांझी, पिता–झड़ी मांझी
2. सुपल मांझी, पिता–गुलु मांझी

दोनों साकिन–तेलडीहा, थाना–टीकापट्टी, अबलवा टोली, जिला–पूर्णियाँ ....
विपक्षीगण

आ दे श

यह राजस्व पुनरीक्षण वाद आवेदकगण ने अंचलाधिकारी, रूपौली द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–2/1973–74 में निर्गत वासगीत पर्चा को निरस्त करने हेतु धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि मौजा–धूसर, खाता संख्या–1387, खेसरा संख्या–962, रकवा–0.29 एकड़ जमीन दिनांक 31.10.1980 को रामदेव मंडल, पिता–स्व0 बटेश्वर मंडल, साकिन–धूसर टीकापट्टी टोला तेलडीहा से खरीद किया है। प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि पर बाँस का पौधा लगा हुआ है। जुलाई, 2009 में नामान्तरण हेतु अंचल कार्यालय में जाने पर कर्मचारी द्वारा पता चला कि जमाबन्दी संख्या–11 वासगीत पर्चा वाद संख्या–2/1973–74 द्वारा 0.08 एकड़ वादो मांझी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से अंकित है तथा जमाबन्दी संख्या–12 प्रतिवादी संख्या–2 के नाम से 0.07 एकड़ खुला हुआ है। उसके बाद अभिप्रमाणित प्रति के लिये आवेदन दिया तो पता चला कि अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभिप्रमाणित प्रति नहीं मिल सका।

यह वासगीत पर्चा विधि सम्मत नहीं बना है। चूँकि सम्पूर्ण जमीन पर बाँस लगा हुआ है। इसलिये आवेदक ने अभिलेख संख्या–2/1973–74 द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, रूपौली से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, रूपौली ने अपने पत्रांक 311, दिनांक 08.07.2010 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वासगीत पर्चा निम्न प्रकार है :–

पर्चाधारी का नाम	मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1.वुदो मांझी, पिता–झारी मांझी, सा0–तेलडीहा	धूसर टीकापट्टी 287	1387	962	0.08
2.सुपल मांझी, पिता– गुलु मांझी, सा0–तेलडीहा	धूसर टीकापट्टी 287	1387	962	0.07

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

स्थल जाँच में पाया गया कि दोनों पर्चाधारी की मृत्यु हो गयी है तथा उक्त जमीन पर पर्चाधारी का घर नहीं है बल्कि प्रतिवेदित भूमि पर बाँसवाड़ी है।

प्रतिवेदित भूमि का खतियानी रैयत सर्वजीत मंडल व बटेश्वर मंडल, पिता–गोपाल मंडल के नाम से है। खतियानी रैयत के मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र से जगरनाथ राय, बैजनाथ राय व सोनेलाल राय, पिता–पोषण राय, साकिन–तेलडीहा खरीद किया है, जिसका केवाला संख्या–8033, दिनांक 31.10.1980 है तथा जमीन पर केता श्री राय का बाँसवाड़ी है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 28.03.2011 को आवेदक को सुना गया। पुनः दिनांक 02.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनोपरान्त अंचलाधिकारी, रूपौली द्वारा पूर्व में निर्गत पासगीत पर्चा (वाद संख्या–02/1973–74) को रद्द करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

02/9/11

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ